प्राक्कथन

मार्च 2019 तथा मार्च 2020 को समाप्त वर्षों के लिए यह संयुक्त प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवदेन में राजस्व विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा तथा माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन में माल एवं सेवा कर तथा विरासतीय अप्रत्यक्ष कर अर्थात् केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे दृष्टांत हैं जो 2018-19 तथा 2019-20 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा वे जो पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान देखे गये परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।